न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 170/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

मनोज साव ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

संतोष कुमार ----------द्वतीय पक्ष

आदेश

24-1-25

थाना प्रभारी, बगोदर के प्रतिवेदन का अवलोकन करने से संतुष्ट होकर लोक परिशांति भंग होने की आशंका पर निम्नलिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि पर दिनांक 12.12.2024 को भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा: जरमुने, खाता नं0- 15, प्लॉट नं0- 1221 , रकबा- 04 डी0,
चौहद्दी : -

उ0- +2 हाई स्कूल बगोदर का बाउण्ड्रीवाल,
द0- पी0सी0सी0 सड़क बाद चौरसिया मेडिकल,
पू0- डॉ0 रविन्द्र कुमार क्लिनीक,
प0- अजय गुप्ता का पक्का मकान

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष अपने लिखित अभिकथन में उल्लेख करते है कि वादग्रस्त भूमि को खरीदने के लिए उन्होने 22.08.2018 को श्री सुधीर कुमार, पिता कपिलदेव प्रसाद से एकरारनामा किया था परन्तु द्वितीय पक्ष ने निबंधित विक्रय पत्र से उक्त भूमि को अपनी पत्नी के नाम से खरीद लिया अत: विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराते हैं।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष लिखित अभिकथन करते हुए उल्लेख करते है कि चार निबंधित केवाला के द्वारा उन्हें उक्त विवादग्रस्त भूमि हासिल

है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में चार निबंधित केवाला की छायाप्रति, एक एकरारनामा की छायाप्रति, एक लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करते है।

उपरोक्त लिखित अभिकथनों का अध्ययन करने, दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात मै इस निर्णय पर पहुँचता हुँ कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर दावा एक एकरारनामा के आधार पर करते है परन्तु एकरारनामा की प्रति न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराते है। वही दुसरी ओर द्वितीय पक्ष निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत करते है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दावा अधिक मजबुत तथा विश्वसनीय प्रतीत होता है अत: नियमन को द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त (vacate) तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष (absolute) घोषित किया जाता है। एकरारनामा के शर्तो के उल्लंघन हेतु प्रथम पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद ला सकते है। उपरोक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

20-1-25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

20-1-25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.02.19 16:39:14 +05:30
Location: 192.168.1.10